

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 4, 1973/वैशाख 14, 1895

No. 176] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 4, 1973/VAISAKHA 14, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY

ORDER

New Delhi, the 4th May 1973

S.O. 266(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Order of the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S.O. 1027, dated the 6th March, 1971, namely:—

In the said Order, for the heading “Director (Production)” and serial number 2, the following serial number shall be substituted, namely:—

“2. Major General K. M. Kini (Retired, C/o M/s. Braithwaite and Company (India) Limited, Calcutta.”.

[No. 1/2/73-P.S.Cell/HM(I).]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

भारी उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 मई, 1973

एस० प्रो० 266 (अ).—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार, भूतपूर्व औद्योगिक विकास और अन्तर्देशीय व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 1027, तारीख 6 मार्च, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, “निदेशक (उत्पादन)” शीर्षक और क्रम संख्या 2 के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या रखी जाएगी, अर्थात् :—

“2. मेजर जनरल के० एस० किनि (मेवातिवृत्त), द्वारा मैमर्स त्रैथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता।”।

[सं० 1/2/73-पी० एस० सेल/एच० एस० (I)]

एस० एस० घोष, सयुक्त सचिव ।